तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/01/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 23/01/25 को पेश हो।	
23/01/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप०। बहस हेतु समय चाहा है। एक अवसर दिया जाता है। पत्रा० वास्ते बहस दिनांक 13/02/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	
13/02/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 6/3/25 को पेश हो।	
6/3/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 3/4/25 को पेश हो।	
3/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप०। उभयपक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9/4/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	
9/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप०। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 48/2018

1. शिवचरन पुत्र खरगा जाति जाट निवासी बसैरी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
.....प्रार्थी

वनाम

1. बीरवल पुत्र किशोरी
2. महेश पुत्र बीरवल
3. संजय पुत्र बीरवल
4. नरेश पुत्र बीरवल समस्त जातियान हरिजन निवासी बसैरी तहसील उच्चैन।
.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—09.04.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नं0 284/0—11, 288/0—09 कुल किता 2 कुल रकवा 2 बीघा बाके ग्राम बसैरी तहसील उच्चैन में स्थित है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर कब्जा एवं काश्त पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त दोनों आराजीयात को मिलाकर अपनी सहूलियत के लिये एक कर रखी है उक्त आराजी गांव की आबादी के सहारे स्थित है एवं प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजी में एक गैतबाडा पक्का बना रखा है जो कि करीब 40 वर्ष पुराना है और शेष आराजी गैतवाडे के पीछे खाली छोड रखी है उक्त गैतवाडे को प्रार्थी अपने पशुओं एवं टैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों को रखने के काम लेता चला आ रहा है और अपने बैठने उठने के लिये कमरेनुमा कोठरी बना रखी है जिसका उपयोग उपभोग कृषि कार्यों हेतु बदस्तूर लेता चला आ रहा है। प्रार्थी की गैतबाडे के पीछे जो शेष खाली पडी हुई है उस पर प्रतिवादीगण अनाधिकृत व अवैध रूप से अतिक्रमण कर हडप लेना चाहता है और इसी गरज से उसने इस खाली भूमी में नींव खोद कर जबरन कब्जा करने की कोशिश की है। दिनांक 15.06.2018 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल करने एवं आराजी पर जबरन कब्जा करने

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

की धमकी दी है जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मुकेश शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये एवं मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.05.2024 को खारिज किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 27.08.2024 को जबाव पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जिस आराजी को वर्णित किया है केवल राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कृषि भूमि मात्र है चुकि उक्त आराजी व उसके आस पास अन्य आराजीयत में करीब 60 साल पूर्व की ही पुख्ता मकानियत बनी हुई है उक्त आराजी काश्त के उपयोग करीब 60 साल से नहीं आ रही है केवल उक्त आराजी का उपयोग प्रार्थी रिहायशी पुख्ता मकान बनाकर निवास परिवार सहित कर रहा है उक्त आराजी की प्रार्थी के पूर्वजों ने ही चारों तरफ से पुख्ता बाल बाउन्ड्री आराजी के सम्पूर्ण सीमा में उसी समय कर दी थी उक्त आराजी के किसी भी तरफ कोई भूमि शेष नहीं रही थी प्रार्थी का यह कथन की अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर अतिक्रमण करना चाहते है नींव खोदकर जंगला आदि को बन्द करना चाहते है ऐसे समस्त कथनों को प्रार्थी ने कतई असत्य व झूठा दर्ज कराया है प्रार्थी व अप्रार्थी की मकानियत की दीवाल आपस में सटी हुई है प्रार्थी का अप्रार्थीगण की ओर कोई रोशनदान जंगला परनाला कायम है ही नही तो बन्द करने बाला कथन स्वतः गलत साबित होता है प्रार्थी असत्य एवं झुठे कथनों के आधार पर प्रतिवादीगण को न्यायालय से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 284 एवं 288 मौके पर एक ही रकबा है जिसका आधा भाग आबादी भूमी में है एवं शेष आधा भाग कृषि कार्य हेतु उपयोग में आ रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में पीछे जो जगह छोडी थी उस पर अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करना चाहते है उक्त विवादित आराजी पर सुनबाई का पूरा अधिकार है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी में मौके पर दीवारे बनी हुई है एवं प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में आरा मशीन लगाई हुई है एवं वृक्ष काटने का कार्य किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी में मौके पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके कारण उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के हक निहित है। इस प्रकार

Ghanti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

प्रकरण में अब प्रार्थी को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में रिकार्डेड खातेदार होने के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद करवाना चाहा गया है। दौराने–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी की मौके स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो वाद के निर्णय के पश्चात वादी के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजी में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा बताया गया कि अप्रार्थीगण नींव आदि खोदकर एंव पक्का निमार्ण कर प्रार्थी की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। जबकि अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि मौके पर पक्की दीवाल बनी हुई है एवं दीवाल के बाहर प्रार्थी की कोई आराजी शेष नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के मौके की स्थिति यथावत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुबिधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थी को होने बाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 284/0–11, 288/0–09 (मुताबिक जमाबंदी 2069–2072) बाके ग्राम बसैरी तहसील उच्चैन में मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 09.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर